(b) if so, what are the details of the loss of forest areas therein ; and

(c) what action Government propose to take for the afforestation of such coal mining areas in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) Approvals for diversion of 3504,885 hac. forest land in Shahdol, Sarguja and Sidhi Districts in Madhya Pradesh for Coal Mining have been accorded by the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 since its enactment upto 30-6-1992. Approvals for diversion of forest land have been accorded after considering all the relevant aspects including likely effect of mining on flora and fauna.

(c) While according approvals for diversion of forest land, compensatory Afforestation over 4904,130 hac has been stipulated.

Encroachments on the forest land

2071. SHRI KAILASH NARAIN SARANG : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government have indicated in its circular issued through its letter dated 18th September, 1990 that encroachments made on the forest lands upto 24th October, 1980 may be regularised and encroachments made after that date cannot be regularised ;

(b) whether proposals in this regard have been sent by Madhya Pradesh Government for taking policy decisions for regularisation of encroachments made upto 24th October, 1980 ;

(c) whether Government of India denying its circular dated 18th September, 1990, is considering not to grant permission in such cases ; and

(d) whether Government in the interest of tribals would reconsider to grant permission for regularisation of encroachment made on forest lands upto the 24th October, 1980; and if so, by when ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) to (d) Detailed Guidelines have been issued regarding regularisation of encroachments on forest land. The proposals received from Madhya Pradesh State Government in this regard have been examined and in conformity with these Guidelines, approvals for diversion of 1-03,873. 658 ha forest land for regularisation of encroachments in favour of eligible encroachers have already been accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980.

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन

2072. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1991 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में कोई संशोधन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये संशोधन मध्य प्रदेश राज्य पर भी लागू होंगे ;

(ग) सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में मध्य प्रदेश के आदिवासियों/किसानों को दिये जा रहे वन उत्पादों की संभावित कमी को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ; और

(घ) वृक्षों की कटाई से संबंधित कार्य बंद हो जाने और अभ्यारण्य क्षेत्र में विभिन्न छोटे-छोटे वन- उत्पादों का संग्रह करने पर रोक लगा दिए जाने के कारण लगभग 3 करोड़ श्रम दिवसों के रोजगार की

संभावित हानि को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) हमारे देश में वन्यजीव आवास स्थल, बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए वन उत्पादों के अनियंत्रित दोहन के कारण वर्षों से गंभीर रूप से कम होते जा रहे हैं । वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी अभयारण्य में किसी भी प्रकार का दोहन तभी किया जाएगा जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि वह दोहन अभयारण्य में वन्यजीवों के सुधार और उन के बेहतर प्रबंध के लिए किया जा रहा है । इससे अतीत में हुए प्राणिजात और वनस्पति-जात से अति-दोहन के घावों को भरने तथा मृदा और जल संरक्षण जैसी पारि-प्रणाली की जीवन रक्षक प्रक्रियाओं को पुनः बहाल करने में ही मदद नहीं मिलेगी अपितु आदिवासियों सहित स्थानीय लोगों को भी काफी लाभ प्राप्त होंगे । जहां तक वन उत्पादों पर आदिवासियों और स्थानीय लोगों के अधिकारों का संबंध है । वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब तक उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक उनका वन-उत्पादों पर अधिकार बना रहेगा ।

बेरोजगारी की समस्या को कम करने तथा सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन-उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, जिससे कि वन उत्पादों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर लोगों की निर्भरता को कम किया जा सके और इस प्रकार बिना किसी कष्ट के अधिकारों को कम करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में पारि-विकास" नामक स्कीम शुरू की है। "अक्रमित वनों के पुनरुत्पादन में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करने" के संबंध में एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है । वनोपण और ग्रामीण विकास की अन्य स्कीमों में आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं ।

संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन आदि

2073. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन आदि प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने मामलों में पंद्रह दिनों के भीतर पावती भेज दी गई और कितने मामलों में अन्तिम उत्तर अभी तक नहीं भेजा गया है ;

(ग) पंद्रह दिन के भीतर पावती और तीन महीने के भीतर अन्तिम उत्तर न भेजे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) कितने अधिकारी पावती भेजने में विलम्ब करने और अन्तिम उत्तर न भेजने के दोषी पाये गये हैं ;

(ङ) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1 जनवरी, 1992 से 30 जून, 1992 तक की अवधि के दौरान संसद सदस्यों से 277 पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए थे ।

(ख) उपरोक्त में से 172 मामलों में अन्तिम उत्तर भेज दिये गये और शेष 105 मामलों में अंतिम उत्तर अभी तक नहीं भेजे गए कुछ मामलों में, जिनमें राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों से विस्तृत जांच/सलाह अपेक्षित थी, अन्तरिम उत्तर भेज दिये गये हैं ।